Entry (4) (ल्टाट) /

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैंप, भोपाल (म.प्र.)

99

सुभाष जायसवाल आत्मज रमेशचन्द्र जायसवाल ,

निवासी ग्राम रायपुर तहसील एवं

जिला होशंगाबाद ---- ~~अपीलार्थी~~ निगरानीकर्ता

PBR/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा/2017/4345

बनाम

दिनेश वल्द श्यामलाल उर्फ राधेलाल व अन्य

निवासी ग्राम बड़ेल तहसील बड़वाह,

जिला खरगौन --------- उत्तरवादी.

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू राजस्व संहिता
======== ========== ========== =========

उपरोक्त निगरानी निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान तहसीलदार (नायब) बाबई द्वारा प्रकरण क्रमांक 5-अ,6 वर्ष 16-17 में पारित आदेश दिनांक 11. 10. 17 से परिवेदित होकर प्रस्तुत की जा रही है ।

तथ्य
======

यहकि याचिकाकर्ता ग्राम रायपुर तहसील एवं जिला होशंगाबाद का निवासी है । याचिका कर्ता के चाचा राधेलाल आत्मज सीताराम जाति कलारा निवासी ग्राम रायपुर के नाम पर मौजा ग्राम चपलासर तहसील बाबई जिला होशंगाबाद स्थित भूमि खसरा नंबर [illegible] है [illegible]

श्री काशीराम उपाध्याय
हार 17/7/17
कोर्ट म 9/17
प्रेषित
17/17

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा./17/4345

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-1-2019	आवेदक अभिभाषक श्री केशव दुबे एवं अनावेदक अभिभाषक श्री शैलेष कुमार दुबे उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 25-4-2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	